मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

डी०क्रमांक 530 / 1610/1(3)/75 भोपाल, दिनांक 5 अगस्त, 1975

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष

विषयः - कार्यालयीन समय का शासकीय कार्य के लिये ही उपयोग ।

==x==

प्रत्येक शासकीय अधिकारी/कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि शासकीय कार्य पूर्ण निष्ठा एवं परिश्रम से करें और कार्यालयीन समय पूरे तौर से शासकीय कार्य में ही लगावे.

2/ शासन के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ अधिकारी/कर्मचारी कार्यालयीन समय अन्य कार्यों में व्यतीत करते है । इस संबंध में शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के संघों के पदाधिकारी संघ के कार्य का बहाना लगाकर समय विनष्ट करने के प्रकरण सामने आये है,

3/ इसलिये यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि कार्यालयीन समय में बिना उच्च अधिकारी की अनुमति से अथवा अवकाश लिये बिना किसी भी अन्य कार्य के लिये समय व्यतीत करना आचरण-नियमों के विपरीत है । अधिकारी/कर्मचारी संघों के पदाधिकारियों को भी अपने कार्यालय को छोड़कर जाने की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब कि उन्हें निश्चित समय के लिए किसी शासकीय बैठक आदि में भाग लेने के लिए जाना हो ।

116

4/ शासन यह अपेक्षा करता है कि समस्त शासकीय अधिकारी /कर्मचारी उपरोक्त आदेशों का दृढ़ता से पालन करेंगे ।

(कलेक्ट सिंह)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

डी0 क्रमांक 531 /1610/1(3)/75 भोपाल, दिनांक 5 अगस्त, 1975

प्रतिलिपि :-

1- सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश इन्दौर
2- पंजीयक, उच्च न्यायालय, म0प्र0 जबलपुर
3- सचिव, मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव

::श्रीवास::